Public International Law

Introduction

- "अंतर्राष्ट्रीय कानून" (International law) शब्द का इस्तेमाल पहली बार अंग्रेजी दार्शनिक जेरेमी बेंथम (English philosopher Jeremy Bentham) ने 1780 में अपने ग्रंथ " Introduction to the Principles of Morals and Legislation " शीर्षक से कया था। 1840 के बाद से, इस शब्द ने पुरानी शब्दावली "राष्ट्रों के कानून" (law of nations) को बदल दिया।

  अंतर्राष्ट्रीय कानून को दो शाखाओं में वभाजित कया गया है: निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून –- Private International Law -- (कानूनों का टकराव –conflict of laws-, जैसा क इसे कॉमन लॉ सस्टम के देशों में कहा जाता है), और
- सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून — Public International law-- (आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है)

Definition of Public international law (सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून)

- नियमों का निकाय (body of rules) जो राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अन्य राज्यों (States), अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (international organization), व्यक्तियों (individuals) और अन्य संस्थाओं (other organisations) के साथ बातचीत में कानूनी रूप से बाध्यकारी (legally binding) है। इसमें कई प्रकार की गति व धयाँ शा मल हैं; जैसे, राजनयिक संबंध (diplomatic relations), युद्ध का संचालन (conduct of war), व्यापार (trade), मानव अ धकार (human rights) और समुद्री संसाधनों का साझाकरण (sharing of oceanic resources).
- परंपरागत (Traditionally) रूप से, अंतर्राष्ट्रीय कानून ने राज्यों के बीच बातचीत (interaction between states) को वनिय मत (regulated) कया। उदाहरण के लए अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्धारित करता है क एक राज्य वदेशी राजनयिकों (foreign diplomats) के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके देश में हैं या राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौतों (agreement between states) को कैसे वनिय मत (regulate) कया जाना है।

Nature and Basis of International Law

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून (International Law) को उन देशों के बीच सं धयों (treaties), नियमों (rules) और समझौतों (agreements) के सेट के रूप में माना जा सकता है जो उनके बीच बाध्यकारी (binding) हैं (International Law can be considered as treaties, set of rules and agreements between countries that are binding between them)

2. अंतर्राष्ट्रीय कानून यह बताता है क राष्ट्रों को अन्य देशों के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। (International Law governs how nations must interact with other nations)

3. यह क्षेत्रा धकार (jurisdiction) के मुद्दे को वनिय मत (regulate) करने में अत्यंत उपयोगी है (It is extremely useful in regulating the issue of jurisdiction which arises when people trade among different States.)

Weakness of International Law

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून की सबसे बड़ी कमी यह है क इसके प्रभाव को लागू करने के लए एक प्रभावी कार्यकारी प्रा धकरण का अभाव है (lacks effective executive authority)

2. प्रभावी वधायी मशीनरी का अभाव (lacks effective legislative machinery): - चूं क अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय सं धयों (international treaties) और अ भसमय (conventions) पर आधारित हैं। इस लए इनकी व्याख्या (interpreted) राज्यों द्वारा अपने स्वार्थ (self-interest of states) के अनुसार की जाती है।

3. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ (International court of Justice) के अनिवार्य अ धकार क्षेत्र (lacks compulsory jurisdiction) का अभाव है: - ICJ (नीदरलैंड) में स्थित है, सभी राज्यों के मामलों को लेने के लए अ धकृत नहीं है (not authorised to take cases of all states)। इस अदालत में संबं धत राज्यों की आपसी सहमति से मामले दायर कए जा सकते हैं। (cases can be filed in this court with the mutual consent of concerned states)

4. प्रभावी प्रतिबंधों की कमी के कारण (lack of effective sanctions), अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का अक्सर उल्लंघन होता है(rules of international law are frequently violently)

5. आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अ धकार में कमी (Lack in right to intervene in Internal Affairs) - संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 (7) के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप (UNO is not competent to interfere in the domestic

matters of states) करने के लए सक्षम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कई मामलों में इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून अप्रभावी और कमजोर साबित होता है

Codification and Development of International law

आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून (Modern International law) की उत्पत्ति पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप में प वत्र रोमन साम्राज्य के वघटन (disintegration of holy roman empire) के बाद हुई है। यह शुरू में यूरोपीय राज्यों के usages और प्रथागत प्रथाओं (customary practices) से उनके पारस्परिक समागम (mutual intercourse) से बाहर हो गया और उस व शष्ट अव ध के दौरान यूरोप में प्रच लत राजनीतिक सद्धांतों (affected by the political theories prevalent in europe) से प्रभा वत था।

Codification/Codification Process relating to International Law

(अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबं धत संहिताकरण / संहिताकरण प्र क्रया)

ओपेनहेम (Oppenheim) के अनुसार, "राष्ट्रों का कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून उन प्रथागत और पारंपरिक नियमों के शरीर (body of customary and conventional rules) का नाम है, जिन्हें सभ्य राज्यों (civilized society) द्वारा एक-दूसरे के साथ समागम में बाध्य माना जाता है"

Meaning of Codification

- "संहिताकरण (codification) आमतौर पर कानून की एक शाखा के आम तौर पर मौजूदा सद्धांतों को लागू करने की प्र क्रया को लागू करने में सक्षम बनाता है जो क अ धनियमन और संदर्भ में सक्षम) process of reducing the generally existing principles of a branch of law into a Code capable of enactment and reference) है।
- इसका उद्देश्य कसी दिए गए वषय पर कानून के नियमों को एक व्यवस्थित तरीके से रखना और सभी प्रावधानों को स्पष्ट करना है, और बदले हुए नियमों के अनुसार नियमों को संशो धत करना भी है।
- (aims at putting together the rules of law on a given subject in a systematic manner making its provisions clearer by removing all lacunas, and also modifying the rules in accordance with the changed conditions)

The Hague Conferences

- प्रथम वश्व युद्ध से पहले सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि 1889 और 1907 के हेग सम्मेलनों में थी और तटस्थता के नियमों से संबं धत थी (relating to the laws of was and neutrality)

The London Declaration

- 1909 में आयोजित लंदन घोषणा पर ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड कंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अ धकांश महान शक्तियों ने हस्ताक्षर कए थे। घोषणा ने बड़े पैमाने पर वर्तमान कानूनों को दोहराया, ले कन कई ववादास्पद बिंदुओं के साथ निपटा गया:

1.नाकेबंदी (Blockades)

2. कंट्राबेंड और पुरस्कार (Contraband and prize)

3. तटस्थ संस्थाओं के अ धकार (Rights of neutral entities)

The League of Nations

- वर्ष 1930 में तैयार राष्ट्र संघ ने नीदरलैंड के हेग में एक संहिता सम्मेलन का आयोजन कया (convened a Codification Conference at The Hague, Netherlands)। लीग परिषद ने 1924 में परिषद की रिपोर्ट करने के लए सोलह न्याय वदों की एक स मति नियुक्त की, जिन वषयों पर वचार कया जाना था, मुख्य रूप से:

1. राष्ट्रीयता (Nationality),
2. प्रादे शक जल (Territorial Waters)
3. वदे शयों के व्यक्तियों या संपत्ति को उनके क्षेत्र में हुए नुकसान के लए राज्य की जिम्मेदारी (State Responsibility for damage done in their territory to the persons or property of foreigners,),
4. राजनयिक प्रतिरक्षा और वशेषा धकार (Diplomatic immunities and privileges),
5. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की प्र क्रया और सं धयों के समापन और प्र क्रया के लए प्र क्रया (Procedure of International Conference and Procedure for the conclusion and drafting of treaties),
6. समुद्र के उत्पादों का शोषण (Exploitation of the products of the sea), और
7. समुद्री डकैती (Piracy)

Establishment of the United Nations

- अंतर्राष्ट्रीय कानून को संहिताबद्ध करने के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) की स्थापना के साथ एक उत्साह मला। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने इस कार्य को महासभा (general assembly) को सौंप दिया।
- "महासभा अध्ययन आरंभ करेगी और राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सफारिशें करेगी 'और अंतर्राष्ट्रीय कानून और इसके संहिताकरण के प्रगतिशील वकास को प्रोत्साहित करेगी '(promoting international cooperation in the political field'

and encouraging the progressive development of International Law and its Codification)'

- अंतर्राष्ट्रीय कानून के संहिताकरण के संबंध में, आयोग ने मोटे तौर पर तीन अवधारणाओं को प्राथ मकता देने का फैसला कया:

1. सं धयों का नियम (Law of Treaties)
2. पंचाट प्र क्रया (Arbitral Procedure)
3. उच्च सागरों से संबं धत कानून (Law relating to High Seas)

Relationship between international law and municipal law

- अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय या राज्य कानून के अन्य वषयों के लए लागू कया जाता है (International Law is applied in the relations of the States and to other subjects of International Law)।
- राष्ट्रीय या राज्य कानून जिसे नगरपा लका कानून (Municipal law) कहा जाता है, एक राज्य के भीतर व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लए लागू कया जाता है जो अ धकारों और कर्तव्यों के वाहक होते हैं (is applied within a state to the individuals and corporate entities which are bearers of rights and duties thereunder)। अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपा लका कानून के नियमों के बीच संबंध की समस्या कानूनी सद्धांत के सबसे ववादास्पद प्रश्नों में से एक है और वर्तमान में उनके संबंध के निर्धारण ने व्यावहारिक महत्व भी हा सल कर लया है।
- मूल रूप से दोनों कानूनों के बीच संबंध सैद्धांतिक महत्व (matter of theoretical importance) का मामला था, अर्थात्, क्या राष्ट्र के कानून और नगरपा लका कानून एक सार्वभौ मक कानूनी आदेश के भाग हैं या वे कानून के दो अलग-अलग सस्टम बनाते हैं (whether Law of Nations and Municipal law are parts of a universal legal order or they form two distinct systems of law)। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय न्याया धकरण (International Tribunal) के सामने आता है, वह यह है क क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून नगरपा लका कानून पर प्रधानता लेता है, या इसके वपरीत (whether International Law takes primacy over municipal law, or vice versa.)।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपा लका कानून के संबंध के सवाल पर न्याय वदों के वचार अलग-अलग और भन्न हैं क्यों क कई सद्धांत सामने आए हैं। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं:

1. **Dualistic Theory (द्वैतवादी सद्धांत)**- द्वैतवादी सद्धांत के अनुसार, राष्ट्रों के कानून और कई राज्यों के नगरपा लका कानून दो अलग-अलग, व शष्ट और स्व-निहित कानूनी प्रणा लयां हैं (Law of nations and municipal laws of the several states are two separate, distinct and

self-contained legal systems.)। अलग-अलग प्रणा लयाँ होने के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कानून कसी राज्य के आंतरिक कानून का हिस्सा नहीं होगा (Being distinct systems, International Law would not as such form part of the internal law of a state.)

2. **Transformation or Specific Adoption Theory (**परिवर्तन या व शष्ट दत्तक सद्धांत**)**

यह द्वैतवादी अवधारणा पर आधारित है। यह सद्धांत कहता है क, अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई भी नियम, अपने बल से, नगरपा लका अदालतों द्वारा लागू कए जाने का दावा नहीं कर सकता है, जब तक क वे परिवर्तन की प्र क्रया से नहीं गुजरते हैं और वशेष रूप से नगरपा लका अदालतों और प्रणा लयों द्वारा अपनाए जाते हैं (theory says that, no rules of international law, by its own force, can claim to be applied by municipal courts, unless they undergo the process of transformation and be specifically adopted by the municipal courts and systems)। अंतरराष्ट्रीय कानून के नियम केवल राष्ट्रीय कानून का हिस्सा हैं, यदि वशेष रूप से अपनाया जाता है (rules of international law are part of national law only if specifically-adopted)।

3. **Delegation theory (**प्रतिनि ध सद्धांत**)**

यह सद्धांत कहता है क प्रत्येक राज्य सं वधान को "अंतरराष्ट्रीय सं धयों के संवैधानिक नियम" (Constitutional rules of international treaties) कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुसार अ धकार दिया गया है, जो प्रत्येक राज्य को यह तय करने या निर्धारित करने की अनुमति देता है क अंतरराष्ट्रीय सं ध या अ भसमय के प्रावधान कैसे हो। यह उस तरीके को भी प्रदान करता है जिससे उन्हें राज्य कानून में लागू कया जाए।

(permit each state to decide or determine for itself as to how and when the provisions of international treaty or convention are to come into force and in what manner they are to be implemented or embodied into State law.

4. **Monistic Theory (**एकात्मक सद्धांत/ अद्वैत सद्धांत**)**

इस सद्धांत के अनुसार, कानूनी व्यवस्था का केवल एक सेट मौजूद है, यानी घरेलू कानूनी व्यवस्था (there exists only one set of legal system, i.e., the domestic legal order)। इस सद्धांत के प्रतिपादक इस बात से इनकार करते हैं क अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून का व शष्ट और स्वायत्त निकाय है (International Law is distinct and autonomous body of law)। इस सद्धांत को ऑस्ट्रियाई ज्यूरिस्ट, केल्सन द्वारा प्रतिपादित कया गया है। Monists का कहना है क नगरपा लका कानून (Municipal Law) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून (International law) एक सार्वभौ मक कानूनी प्रणाली के अंग हैं जो मानव समुदाय की जरूरतों को एक तरह से या दूसरे तरीके से पूरा करते हैं। (are parts of one universal legal system serving the needs of the human community in one way or the other)

Subjects of International law

- अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक वषय एक व्यक्ति (संस्था) है, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व है, अर्थात्, अंतर्राष्ट्रीय अ धकार और दायित्व रखने में सक्षम है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रकार की कार्रवाई करने की क्षमता रखता है (subject of International Law is a person (entity) who possesses international legal personality, i.e., capable of possessing international rights and obligations and having the capacity to take certain types of action on the international level)।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के इन व्यक्तियों और वषयों पर निम्न ल खत में चर्चा की जाती है:

1. **States (राज्य)**

राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल और प्रमुख वषय (original and major subjects of International Law) हैं। उनके कानूनी व्यक्तित्व अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की प्रकृति और संरचना से प्राप्त होते हैं (legal personalities derive from the very nature and structure of the international system)। सभी राज्य, संप्रभु समानता के सद्धांत के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व की समान डग्री का आनंद लेते हैं

(States, by virtue of the principle of sovereign equality, enjoy the same degree of international legal personality)।

2. **International Organisations (अंतरराष्ट्रीय संगठन)**

एक अंतरराष्ट्रीय संगठन राज्यों का एक संघ है, जो दो या अ धक राज्यों के बीच एक सं ध द्वारा स्था पत है।

(International organization is an association of States, established by a treaty between two or more States)। इसके कार्य राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। यह कुछ उद्देश्यों के लए अंतर्राष्ट्रीय कानून का वषय है।

(For certain purposes a subject of International Law)

3. **Non-State Entities (गैर-राज्य संस्थाएँ)**

कुछ निश्चित संस्थाएँ हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत व्यक्तित्व का एक निश्चित और सी मत वशेष प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान कया जाता है। ऐसी संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कुछ अ धकार और कर्तव्य हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय अ भसमय (International convention) में भाग ले सकते हैं और सं ध संबंधों (treaty relations) में प्रवेश कर सकते हैं। ये संस्थाएँ निम्न ल खत श्रे णयों में आती हैं:

1. र चत राज्यों या संघीय राज्यों के सदस्य (Members of composed States or federal States)
2. वद्रोही और युद्धरत (Insurgents and Belligerents)
3. राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन (National liberation movements)
4. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र (International territories)

4 Special case entities (वशेष मामला इकाई)

अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दो वशेष केस इकाइयाँ वशेष व शष्ट दर्जा रखती हैं; वे माल्टा के सॉवरेन ऑर्डर और होली सी और वेटिकन सटी हैं

5. Individuals (व्यक्ति)

व्यक्तियों को इस कानून के प्रतिभा गयों और वषयों के रूप में मान्यता दी गई है। यह मुख्य रूप से मानवा धकार कानून और मानवतावादी कानून के वकास के माध्यम से हुआ है जो पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के वकास के साथ आता है।

Nationality (राष्ट्रीयता)

- राष्ट्रीयता का तात्पर्य राजनीतिक अ धकारों और इसके साथ अन्य वशेषा धकारों के अलावा कसी राष्ट्र या संप्रभु राज्य की सदस्यता से है (nationality refers to the membership of a nation or a sovereign state in addition to the political rights and other privileges accompanied with it)
- व्यक्तिगत व्यक्ति, निगम, जहाज और वमान, सभी में एक राष्ट्रीयता होती है, ले कन केवल कानूनी उद्देश्यों के लए।+
- (individual persons, corporations, ships and aircrafts, all have a nationality, but for legal purposes only)

Main theories related to Nationality (राष्ट्रीयता से संबं धत मुख्य सद्धांत)

1. Active Nationality Theory (स क्रय राष्ट्रीयता का सद्धांत)

- यह बताता है क एक राज्य अपने नागरिकों पर अपने अ धकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अ धकार प्राप्त करता है, भले ही वे एक वदेशी क्षेत्र में हों। निजी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते समय, राष्ट्रीय कानून हमेशा एक व्यक्ति का पालन सीमाओं से परे करते हैं जहां तक उसकी निजी स्थिति का संबंध है

- (he national laws always tend to follow an individual beyond the boundaries as far as his personal status is concerned)।

2. **Passive Nationality theory (निष्क्रिय राष्ट्रीयता सद्धांत)**

एक राज्य कई बार वदेशी नागरिकों पर अतिरिक्त अ धकार क्षेत्र (extra territorial jurisdiction) मान लेता है, यदि उस व्यक्ति को जिसने उस राष्ट्रीयता के लए नुकसान का सामना कया हो। निष्क्रिय राष्ट्रीयता की कवायद के पीछे का वचार यह है क वदेशी राज्य अपराधी को दं डत करने में वफल होने की स्थिति में अपने नागरिकों को हुई क्षति से बचाने के लए कसी राज्य के कर्तव्य को पूरा करें (idea behind the exercise of passive nationality is to fulfil the duty of a state to protect its nationals from the damage suffered by them in case the alien state fails to punish the offender)।

Acquisition of Nationality (राष्ट्रीयता का अ धग्रहण)

1. Nationality by Birth - जन्म से राष्ट्रीयता
2. By descent - वंश से (This is known as the principle of Jus Sanguinis – Right of blood)
3. By Naturalization – देशीकरण द्वारा
4. Nationality by Marriage- ववाह द्वारा राष्ट्रीयता
5. Nationality by Adoption - दत्तक ग्रहण द्वारा राष्ट्रीयता
6. Nationality by Cessation - समाप्ति द्वारा राष्ट्रीयता

Extradition (प्रत्यर्पण)

- प्रत्यर्पण एक राज्य की औपचारिक प्र क्रया है जो कसी व्यक्ति को कसी दूसरे राज्य में अ भयोजन के लए आत्मसमर्पण करने या अनुरोध करने वाले देश के अ धकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों के लए सजा देता है। यह आम तौर पर एक द् वपक्षीय या बहुपक्षीय सं ध द्वारा सक्षम है। कुछ राज्य सं ध के बिना प्रत्यर्पण करेंगे, ले कन वे मामले दुर्लभ हैं (Extradition is the formal process of one state surrendering an individual to another state for prosecution or punishment for crimes committed in the requesting country's jurisdiction. It typically is enabled by a bilateral or multilateral treaty. Some states will extradite without a treaty, but those cases are rare)

- प्रत्यर्पण की प्र क्रया दो कारकों के अधीन है:

1. एक बाध्यकारी प्रत्यर्पण समझौते का अस्तित्व और (existence of a binding extradition agreement)
2. देश के नगरपा लका कानून, जिनसे प्रत्यर्पण का अनुरोध कया जा रहा है। (municipal laws of the country from which the extradition is being requested)

Asylum (शरण)

- 'शरण' शब्द लैटिन है और ग्रीक शब्द 'asylia' से लया गया है, जिसका अर्थ है हिंसात्मक स्थान। यह शब्द उन मामलों को संद र्भत करता है जहां प्रादे शक राज्य कसी व्यक्ति को अनुरोध करने वाले राज्य को आत्मसमर्पण करने के लए मना करता है और अपने स्वयं के क्षेत्र में आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है।

The word asylum is Latin and derived from the Greek word 'Asylia' which means inviolable place. The term is referred to those cases where the territorial State declines to surrender a person to the requesting state and provides shelter and protection in its own territory.

Definition:

According to Starke, the conception of asylum in International law involves two elements

1. आश्रय, जो केवल अस्थायी शरण से अ धक है (Shelter, which is more than merely temporary refuge)
2. शरण के क्षेत्र के नियंत्रण में अ धकारियों की ओर से स क्रय सुरक्षा की एक डग्री (A degree of active protection on the part of the authorities in control of the territory of asylum)

Kinds/ Types of Asylum:

There are two types of Asylum are as follows:

A) Territorial Asylum (प्रादे शक शरण)

B) Extra-territorial Asylum (अतिरिक्त-क्षेत्रीय शरण)